

मुख्य विकास अधिकारी महोदया, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 06.03.2025 को जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :-

मुख्य विकास अधिकारी महोदया, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 06.03.2025 को जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे:-

1. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
2. सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
3. श्री अभिषेक, मै० आरवी एसोसिएट्स (टी०पी०आई०)।
4. श्री अभिनव गुप्ता, जिला समन्वयक, मै० मेघज टैक्नो कॉन्सोल्ट प्रा०लि० (डी०पी०एम०यू०)।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किए जाने हेतु जनपद मेरठ के लिए मै० पावर मैक प्रोजेक्ट्स- भूरत्नम कंस्ट्रक्शन (जे०वी०), हैदराबाद को नामित किया गया है। जनपद मेरठ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 472 नग ग्रामों का चयन किया गया है। उक्त चयनित 472 नग ग्रामों के सापेक्ष सभी ग्रामों को सम्मिलित करते हुए कुल 332 नग डी०पी०आर० तैयार कर शासन को प्रेषित की गई। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा उक्त 332 नग डी०पी०आर० को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। फर्म स्तर से कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का अनुश्रवण टी०पी०आई० द्वारा किया जा रहा है। जनपद मेरठ में टी०पी०आई० के रूप में मै० आर०वी० एसोसिएट्स कार्यरत है तथा जनपद मेरठ में District Project Monitoring Unit (DPMU) के रूप में कार्यरत है।

पेयजल योजनाओं के कार्यों की प्रगति।

जनपद में स्वीकृत 332 नग पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० के सापेक्ष 325 नग पेयजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत कुल 340 नग ट्यूबवैल, 309 नग ओवर हैड टैंक, 340 नग पम्प हाऊस, 3025 कि०मी० पाइप लाईन, 2,28,820 नग हाउस कनेक्शन आदि निर्माण कार्य स्वीकृत है।

पूर्ण की स्थिति:-

वितरण प्रणाली की प्रगति	अवर जलाशय की प्रगति	नलकूप की प्रगति	गृह संयोजन की प्रगति नग	हर घर जल सर्टिफिकेट	टिप्पणी
प्रस्तावित-3025 कि०मी० प्रगति-2954 कि०मी० (97.65% पूर्ण)	प्रस्तावित-309 नग पूर्ण-298 नग/ 4 नग (75-99%)	प्रस्तावित-340 नग पूर्ण-333 नग	प्रस्तावित-2,28,820 प्रगति-2,18,545 (95.50%)	285 ग्राम	325 नग योजनाओं (454 नग ग्रामों) के सापेक्ष 206 नग योजनाओं के कार्य पूर्ण हैं तथा 119 नग योजनाओं के कार्य प्रगति में हैं।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 206 नग पेयजल योजनाओं के अनुसंधान एवं रख-रखाव का अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

रोड रिस्टोरेशन :-

Sr. No.	Block	Reinstatement		
		Dismantled (KM)	Road Restoration Completed in (KM)	Road Restoration yet to be Completed in (KM)
1	Jani	239.33	238.11	1.22
2	Kharkhoda	145.47	145.42	0.05
3	Meerut	90.78	90.49	0.29
4	Rajpura	176.66	176.54	0.12
5	Daurala	242.49	242.21	0.28
6	Rohta	197.82	197.59	0.23
7	Shardhana	240.60	240.09	0.52
8	Sarurpur	192.64	192.26	0.39
9	Hastinapur	311.34	310.81	0.54
10	Machara	229.79	229.34	0.45
11	Mawana	277.77	277.61	0.16
12	Parikshitgah	335.60	335.15	0.45
	Total	2680.28	2675.59	4.68

319 नग ग्रामों में रोड रिस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उक्त के अतिरिक्त योजनाओं के रोड रिस्टोरेशन के स्थलीय निरीक्षण हेतु खण्ड विकास अधिकारियों एवं समस्त सहायक खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत को भी मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ के पत्रांक 1741/पेय0-71/387 दिनांक 03.06.2025, 2437/पेय0-71/500 दिनांक 01.07.2025 द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.10.2025 को आयोजित दिशा बैठक के दौरान मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं में काटी गयी सड़कों के रोड रिस्टोरेशन कार्यों की वर्तमान स्थिति का स्थलीय निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदय मेरठ के पत्रांक 5046/पेयजल-71/940 दिनांक 20.11.2025 द्वारा जनपद के अन्य विभागों के तकनीकी व जिला पंचायत के अधिकारियों से रोड रिस्टोरेशन का निरीक्षण कराया गया है।

ग्रामवार शेष रोड रिस्टोरेशन की स्थिति निम्नानुसार:-

500 मी0 से कम, 100 मी0 तक शेष रोड रिस्टोरेशन वाले ग्राम	ग्राम	-25
100 मी0 से कम शेष रोड रिस्टोरेशन वाले ग्राम	ग्राम	-110

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष ग्रामों में रोड रिस्टोरेशन का कार्य शीघ्रता से मानकानुसार एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

हर घर जल सर्टिफिकेशन:- जनपद मेरठ में 472 ग्रामों में से 285 ग्रामों का हर घर जल सर्टिफिकेशन पूर्ण हो चुका है।

भूमि उपलब्धता एवं विवादों की स्थिति है :-

खण्ड स्तर से सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं, जूनियर इंजीनियर एवं मै0 पावर मैक प्रोजेक्ट्स मूरलम कस्ट्रक्शनस (जे0वी0), के प्रतिनिधियों द्वारा सम्बन्धित तहसीलों (मेरठ, मवाना एवं सरधना) में SLSSC से स्वीकृत डी.पी.आर. के सापेक्ष विवादित स्थल के निस्तारण हेतु राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से नियमित सम्पर्क किया जा रहा है। योजनाओं के निर्माण हेतु अनुपलब्ध, विवादित भूमि में विवाद का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	तहसील	अनुपलब्ध भूमि	विवादित स्थल
1	मेरठ	2	1
2	सरधना	1	1
3	मवाना	4	6
	कुल	7	8

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अपने से सम्बन्धित पेयजल योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि ग्राम में भूमि उपलब्ध न हो तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिन 8 नग ग्रामों में ग्राम प्रधान द्वारा कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, उनके साथ उपजिलाधिकारी, अधिशासी अभियन्ता व खण्ड विकास अधिकारी बैठक कर प्रकरण को निस्तारित करें।

जनपद मेरठ में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत क्रियाशील पेयजल योजनाओं का निरीक्षण:- दिनांक 31.10.2025 को आयोजित दिशा बैठक के दौरान मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं में काटी गयी सड़कों के रोड रिस्टोरेशन कार्यों की वर्तमान स्थिति का स्थलीय निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदय मेरठ के पत्रांक 5046/पेयजल-71/940 दिनांक 20.11.2025 द्वारा जनपद के अन्य विभागों के तकनीकी व जिला पंचायत के अधिकारियों से रोड रिस्टोरेशन का निरीक्षण कराया गया है। इसके अतिरिक्त खण्डान्तर्गत सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर, अधोहस्ताक्षरी एवं टी0पी0आई0 द्वारा निर्माणाधीन योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि उक्त निरीक्षण में पायी गयी कमियों को अविलम्ब ठीक कराना सुनिश्चित करें।

शासनादेश द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में आख्या:-

प्रमुख सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश, शासन के शासनादेश संख्या 27/2025/1316/छिहत्तर-1-2025- 1739613 दिनांक 21.05.2025 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित/निर्माणाधीन पाईप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्गत/निर्माणाधीन ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित किये

जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही प्रमुख सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश, शासन के शासनादेश संख्या 34/2025/1564/छिहत्तर-1-2025-1739613 दिनांक 17.06.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही पाईप पेयजल योजनाओं का अनुश्रवण jjm.up.co.in पर परिलक्षित हो रही प्रगति को जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुश्रवण किया जा सकता है। उक्त शासनादेश के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् है:-

ओवरहेड टैंकों पर सेंसर/फ्लोमीटर लगाना

जनपद में 325 नग योजनाओं पर सेंसर एवं फ्लोमीटर स्थापित किए गए हैं।

इनके माध्यम से जल की मात्रा एवं गुणवत्ता का रियल-टाइम डेटा jjm.up.co.in पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

जल निगम द्वारा अनुरक्षित योजनाएँ

जनपद में 101 ग्रामों में पूर्व से निर्मित पेयजल योजनाएँ हैं, जो जल निगम एवं ग्राम पंचायत द्वारा संचालित की जा रही थी। संयुक्त सचिव उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 63/2024/2066/छिहत्तर-1-2024/-1739613, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ दिनांक 29.08.2024 के द्वारा निर्गत आदेश "प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024" के अनुक्रम में मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ के पत्रांक 569/011-Nivida/25 दिनांक 05-03-2025 के द्वारा जनपद मेरठ में पूर्व निर्मित ग्रामीण पेयजल योजनाओं (जल निगम/ ग्राम पंचायत द्वारा संचालित) हेतु मै० हेल्थी कन्स्ट्रक्शन्स लि०-भूरत्नम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि० (जे०वी०) को नामित किया गया है, जिनके द्वारा अनुबन्ध संख्या 02/SE/2024-25 दिनांक 27.03.2025 के अन्तर्गत विषयगत योजनाओं के O&M तथा शेष कार्य हेतु प्राक्कलन विरचन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

पूर्व निर्मित योजनाओं को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-

Fully Functional:- जनपद में 02 ग्राम Fully Functional हैं।

Partially Functional:- जनपद में 64 ग्राम Partially Functional हैं।

Defunct:- जनपद में 35 ग्राम Defunct हैं।

सम्बन्धित फर्म द्वारा अद्यतन 60 नग योजनाओं का त्रि-पक्षीय अनुबन्ध गठित कर योजनाओं को takeover कर लिया गया है तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। फर्म द्वारा डी०पी०आर० विरचन कर मुख्यालय प्रेषित कर दी गयी है, जिसकी कार्यवाही मुख्यालय स्तर से अपेक्षित है।

ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC) की सक्रियता

अधिसासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 921/W-314(Vol-6)/DM/ISA-1/2025-26 दिनांक 18.06.2025 द्वारा VWSCs से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों यथा OPEX Bank Account, VWSC सदस्यों का विवरण, बैठकों का कार्यवृत्त, VWSC से सम्बन्धित रजिस्ट्रों में दर्ज अब तक संपादित एवं वर्तमान में प्रचलित गतिविधियों की सूचनाओं/आँकड़ों का सावधानीपूर्वक सूक्ष्म अवलोकन कर त्रुटिरहित पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके अनुपालन में जनपद में आवंटित आई०एस०ए० द्वारा कलस्टर वार ग्राम पंचायतों में VWSC गठन का कार्य किया गया है यद्यपि उक्त की सक्रियता बढ़ाने हेतु सम्बन्धित आई०एस०ए० के माध्यम से ग्राम स्तर पर VWSC (विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी) के पुनर्गठन एवं सक्रियता बढ़ाये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

निरीक्षण रिपोर्ट एवं सुधारात्मक कार्यवाही

दिनांक 31.10.2025 को आयोजित दिशा बैठक के दौरान मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं में काटी गयी सड़कों के रोड रिस्टोर्शन कार्यों की वर्तमान स्थिति का स्थलीय निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदय मेरठ के पत्रांक 5046/पेयजल-71/940 दिनांक 20.11.2025 द्वारा जनपद के अन्य विभागों के तकनीकी व जिला पंचायत के अधिकारियों से रोड रिस्टोर्शन का निरीक्षण कराया गया है। इसके अतिरिक्त खण्डान्तर्गत सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर, अधोहस्ताक्षरी एवं टी०पी०आई० द्वारा निर्माणाधीन योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है।

जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठकों में महत्वपूर्ण बिन्दु:-


अधिसासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 3623/Letter/2025-26/Tech-20 दिनांक 06.02.2026 द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन/अनुरक्षण के सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जनपद स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में निम्न बिन्दुओं को भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है:-



1. पाइप पेयजल योजनाओं की RPWSS:- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग भारत सरकार द्वारा JJM Dashboard 2.0 में RPWSS (Rural Piped Water Supply Scheme) ID बनाये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके अनुपालन में 155 Temporary ID बना दी गई हैं। शेष का कार्य प्रगति पर है।
2. सुजलम भारत ऐप के माध्यम RPWSS (Rural Pipe Water Supply Scheme) Sujlam ID के अन्तर्गत दर्शाये गये Assets की जीओओ टैगिंग कराना:- भारत सरकार द्वारा JJM Dashboard 2.0 में RPWSS (Rural Piped Water Supply Scheme) ID बनाये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके अनुपालन में 155 Temporary ID बना दी गई हैं, जिसके अन्तिम सवमिशन के उपरान्त Assets की जीओओ टैगिंग प्रारम्भ कर दी जायेगी।
3. पाइप पेयजल परियोजनाओं के सुचारु रूप से संचालन हेतु पंचायत सचिव के द्वारा जल आंकलन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) से सम्यक विचारोपरान्त ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से जे०जे०एम० डैशबोर्ड 2.0 पर भरा जाना:- इस संबंध में अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 3285/JalSewaAnknan/JJM/2025-26/Tech-20 दिनांक 10.01.2026 द्वारा जल आंकलन हेतु उपलब्ध कराई गई 267 ग्राम पंचायतों की सूची के सापेक्ष अद्यतन 172 ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों द्वारा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) से सम्यक विचारोपरान्त जल आंकलन मूल्यांकन प्रपत्र ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से जे०जे०एम० डैशबोर्ड 2.0 पर भरा जा चुका है।
4. पाइप पेयजल परियोजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण होने के उपरान्त जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जल अपर्ण दिवस आयोजित करना:- उक्त के क्रम में श्री अरुण गोविल, माननीय सांसद महोदय, श्री गुलाम मोहम्मद, माननीय विधायक, सिवाल खास तथा श्री सोमेश तोमर, माननीय विधायक एवं राज्यमंत्री ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार महोदय से कार्यक्रम हेतु समय निर्धारित करने के लिए संपर्क किया जा रहा है।
5. ग्रामीण जलापूर्ति कार्यों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने तथा निष्पादित कार्यों की निगरानी को सुदृढ़ करने में तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (TPIAs) की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, TPIAs द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों की समीक्षा किया जाना:- राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ स्तर से नामित फर्म मै० आरवी एसोसिएट्स टी०पी०आई० के अभियन्ताओं द्वारा जनपद में निर्माणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जा रहा है, जिसकी जाँच रिपोर्ट खण्ड में उपलब्ध करायी जाती है। खण्ड स्तर से सम्वन्धित अभियन्ताओं द्वारा भी टी०पी०आई० द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति/उपस्थिति की जाँच समय-समय पर की जाती है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय मेरठ द्वारा टी०पी०आई० की उपस्थिति का सत्यापन किया जाता है, जिस हेतु ग्रामीण पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण जिला विकास अधिकारी, मेरठ द्वारा भी करायी गयी है।

अधिशासी अभियन्ता एवं सम्वन्धित फर्म को निर्देशित किया गया कि सभी क्रियाशील पेयजल योजनाओं पर नियमित रूप से क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा तोड़ी/काटी गई सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराई जाए। इसके अतिरिक्त जिन निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं पर कार्य की प्रगति धीमी है, उन पर कार्य की गति बढ़ाते हुए उन्हें शीघ्र पूर्ण कर ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि आगामी ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए उक्त योजनाओं के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बैठक का समापन किया गया।


मुख्य विकास अधिकारी
मेरठ


कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।

पत्रांक 1014 / पेय-71 / 206

दिनांक 16/03/2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
2. जिलाधिकारी, मेरठ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
4. उपजिलाधिकारी, मेरठ/सरधना/मवाना।
5. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मेरठ।
6. समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर (खण्डान्तर्गत)।
7. मै० आरवी एसोसिएट्स (टी०पी०आई०), मेरठ।
8. मै० मेघज टैकनो कॉन्सेप्ट प्रा०लि० (डी०पी०एम०यू०), मेरठ।
9. मै० पावर मैक प्रोजेक्ट्स-भूरत्नम कन्स्ट्रक्शन (जे०वी०)।


अधिशासी अभियन्ता